अध्याय-IV
ऋणों की पुनर्संरचना

पुनर्संरचित ऋण खाता वो है जहां ऋणदाता कर्जदार की वित्तीय समस्या से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों हेतु कर्जदार को रियायत देता है जिस पर वह अन्यथा विचार नहीं करता। पुनर्संरचना में सामान्य रूप से अग्रिम/सुरक्षा जमा की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें पुनर्भुगतान की अवधि/प्रतिदेय राशि/किस्तों की राशि/ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है। ऋण का पुनर्संरचना लागत में वृद्धि, परियोजना के लंबित क्रियान्वयन, परियोजना के कार्यक्षेत्र में वृद्धि आदि के कारण अधिक लागत को पूरा करने के लिये अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के कारण भी होता है। आरईसी और पीएफसी के विवेक पूर्ण मानदंड दिशानिर्देश निर्धारित करते है जो ऋण खाते के पुनर्संरचना के समय ध्यान में रखे जाने चाहिये।

आरईसी अधिक लागत के ऋण निधिकरण/पुनर्संरचना के समय इकाई और परियोजना मूल्यांकन करता है जैसा नये ऋण की स्वीकृति के समय किया जाता है। अधिक लागत के पुनर्संरचना/निधिकरण के समय केवल एक परिवर्तन होता है कि विकासक को अग्रिम में अधिक लागत, अर्थात अधिक लागत के निधिकरण के प्रति किसी भी संवितरण से पूर्व, निधिकरण के लिये अपेक्षित 100 प्रतिशत इक्विटी लाना आवश्यक है।

दूसरी ओर, पीएफसी अधिक लागत के पुनर्संरचना/निधिकरण के समय इकाई और परियोजना मूल्यांकन नहीं करता। लेकिन, परियोजना की वित्तीय व्यवहारिकता के पहलुओं का अधिक लागत की राशि को ध्यान में रखते हुये विचार और मूल्यांकन किया जाता है। जैसा आरईसी द्वारा किया जा रहा है,

केस अध्ययनः पीएफसी द्वारा ईकाई मूल्यांकन के बिना स्वीकृत ऋणः-

पीएफसी ने मूल्य लंघन के समय बिना ईकाई मूल्यांकन के मै. झबुआ पावर लिमिटेड के परियोजना में भागीदारी की 250 करोड़ का ऋण (25 अप्रैल 2014) को स्वीकृत किया। परियोजना को लागू करने में प्रमोटर की क्षमता ऋण स्वीकृत करने से पहले नही जाँची गई। लेखा परीक्षा ने पाया कि प्रमोटरों को वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (दिसम्बर 2013 तक) हानि वहन करना पड़ा।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (जून 2017/नवम्बर 2016) कि मूल्य लंघन को वित्त पोषित करने की पॉलिसी निर्माण चरण में थी इसलिए कोई ईकाई मूल्यांकन नही किया गया।

पीएफसी भी विहित करता है कि विकासक अग्रिम में अधिक लागत के निधिकरण हेतु अपेक्षित 100 प्रतिशत इक्विटी पेश करे।

पुनर्संरचना/अधिक लागत की स्वीकृति के समय आरईसी और पीएफसी द्वारा ध्यान में रखे गये मुख्य मापदंड में (i) परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता (ii) आरईसी/पीएफसी सहित एफआई/बैंक के साथ विकासकों/कर्जदारों की चूक, और (iii) अधिक लागत हेतु अपेक्षित अग्रिम इक्विटी, शामिल हैं। आरईसी पुनर्संरचना के समय 'विकासकों/कर्जदार की हानि/संचित हानि' को भी ध्यान में रखता है। आरईसी/पीएफसी विकासक/कर्जदार के अनुपालन हेतु अतिरिक्त शर्तों को भी प्रस्तावित करता है।

जनवरी 2014 में आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि जब तक वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित नहीं होती और कर्जदार से पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता है गैर-बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियों द्वारा किसी भी खाते का पुनर्संरचना नहीं किया जायेगा। कर्जदार के नकद प्रवाह और वित्तपोषित परियोजना कार्य की व्यवहार्यता की जाचं को ध्यान में रखे बिना किये गये किसी भी पुनर्संरचना को हमेशा के लिये कमजोर क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के प्रयास के रूप में माना जायेगा। यद्यपि, आरबीआई ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को उचित रूप से अपनाने के निर्देश दिये, आरईसी और पीएफसी के मौजूदा आंतरिक दिशानिर्देश संशोधित नहीं किये गये थे, न ही नवंबर 2016 तक निदेशक मण्डल की बैठक में उपरोक्त दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान ऋण की पर्याप्त संख्या का पुनर्संरचना किया गया था और उपरोक्त आरबीआई दिशानिर्देशों को अपनाये और लागू किये बिना जनवरी 2014 से मार्च 2016 तक अधिक लागत की स्वीकृति दी गई थी।

विस्तृत जांच हेतु चयनित ऋण के मामलों की समीक्षा ने दर्शाया कि आरईसी और पीएफसी ने अपने आंतरिक और आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और मुख्य वित्तीय सीमाओं और बेचमार्क के संबंध में छूट दी गई थी, परिणामस्वरूप मौजूदा दिशानिर्देशों/मानदंडों पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे, अनुचित और अलाभकारी परियोजना का वित्तपोषण हुआ, इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1 परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता

स्तरित टैरिफ, परियोजना/ऋण की अवधि/ पीपीए की अवधि के जीवन काल के दौरान प्रति यूनिट के टैरिफ का शुद्ध वर्तमान मूल्य है।

स्तरित उत्पादन लागत, परियोजना/ऋण की अवधि/पीपीए की अवधि के जीवनकाल के दौरान प्रति यूनिट के वैधुत मूल्य का शुद्ध वर्तमान मूल्य है।

वित्तीय व्यवहार्यता परियोजना के पर्याप्त निधि अर्जित करने की क्षमता है ताकि वो अपना प्रचालन जारी रखने और ऋण का पुनर्भुगतान करने में सक्षम हो। परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिये, स्तरित शुल्क अर्जन की स्तरित लागत से अधिक होना चाहिये, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), न्यूनतम से अधिक और रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर) 12 प्रतिशत से अधिक है। चूंकि डीएससीआर और आइआरआर अर्जन के स्तरित शुल्क और स्तरित टैरिफ के बीच के अंतर पर निर्भर होता है। अतः स्तरीकृत टैरिफ/स्तरीकृत उत्पादन लागत परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए अहम हैं। पुनर्संरचना समय/अधिक लागत के सात परियोजना ऋण मामलों (आरईसी और पीएफसी का एक सामान्य ऋण मामला[34] पीएफसी का एक अकेला ऋण का मामला[35] और आरईसी के पांच एकल आधार मामले[36]) की व्यवहार्यता की आकलन किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी सात मामलों में, आरईसी/पीएफसी द्वारा मानी गई स्तरीकृत टैरिफ अतिरिक्त ऋण/अधिक लागत की स्वीकृति के समय विद्यमान टैरिफ से अधिक था। के संबंध मामलों की नीचे चर्चा की गई है:-

4.1.1 मैं रतनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड (आरएनपीएल) द्वारा लागू परियोजना लागत अधिक हो गई। ₹ 333.33 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति हेतु मैसर्स रत्तनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड की परियोजना की व्यवहार्यता की जांच के समय, आरईसी

परियोजना का नाम	स्तरीत टैरिफ मानी गई द्वारा (₹)		स्तरीत उत्पादन लागत (₹)
	आरईसी	पीएफसी	
आरएनपीएल	4.17	3.23	3.86
एएचपीसीएल	4.96	-	3.89
ईपीएमएल	3.96	2.94	3.80
एलवीटीपीएल	4.79	3.60	4.37
एमईपीएल	5.35	4.31	4.83
एनपीपीएल	4.00	3.60	3.70

[34] ***पैरा 4.1.3***

[35] ***पैरा 4.1.4***

[36] ***पैरा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 और 4.1.7***

ने ₹ 4.17 प्रति यूनिट का स्तरित शुल्क और ₹ 3.86 प्रति यूनिट की अर्जन की स्तरित लागत मानी (फरवरी 2014) लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 4.17 प्रति यूनिट का स्तरित शुल्क यह ध्यान में रखते हुये निकाला गया था कि (950 मे.वा.) पीपीए के आधार पर ₹ 3.42 प्रति यूनिट प्रति का शुल्क और शेष मात्रा (400 मे.वा.) के लिए 3.42 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित ₹ 3.95 प्रति यूनिट का व्यापार शुल्क। तथापि, फरवरी 2013 से जनवरी 2014 की अवधि हेतु निकाला गया औसत व्यापार शुल्क ₹ 2.79 प्रति यूनिट था और इसमें 2008 से गिरावट आ रही थी। इस पर विचार करते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया स्तरीकृत टैरिफ ₹ 3.23 प्रति यूनिट था जो उत्पादन की स्तरित लागत से कम था।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसंबर 2016) कि मामला-I की बोली के अनुसार 2011-16 के दौरान शुल्क ₹ 3.60 प्रति यूनिट से ₹ 5.73 प्रति यूनिट के बीच था। आरईसी ने अपनी स्वीकृति परियोजना मूल्यांकन दिशानिर्देशों और मुख्य ऋणदाता के परियोजना सूचना ज्ञापन को ध्यान में रखा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उत्तर में दर्शाया गया शुल्क उचित नहीं है क्योंकि परियोजना कंपनी के पास पहले ही परियोजना क्षमता के 70 प्रतिशत हेतु पीपीए था। यदि वास्तविक टैरिफ पर विचार किया जाय तो परियोजना, अतिरिक्त ऋण जारी करते समय व्यवहार्य नहीं थी।

4.1.2 आरईसी ने परियोजना के लिये दूसरी अतिरिक्त अधिक लागत के निधिकरण हेतु मै. अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) को ₹ 475 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2012)। परियोजना को ₹ 4.96 प्रति यूनिट के स्तरित शुल्क और ₹ 3.89 प्रति यूनिट के अर्जन की स्तरित लागत पर व्यवहार्य माना गया था। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये ₹ 4.96 प्रति यूनिट का स्तरित शुल्क उचित नहीं हैः

- परियोजना क्षमता (39.20 मे.वा.) की 12 प्रतिशत सीमा तक का ऊर्जा उत्पादन उत्तरांचल सरकार के लिये 'लागत मुक्त' होगा।
- हालांकि परियोजना कंपनी के पास परियोजना क्षमता (अर्थात 287.50 मे.वा.) के 88 प्रतिशत हेतु पीपीए था (जून 2006)।, किंतु पीपीए ने 30 वर्ष की अवधि के

लिये कोई भी टैरिफ निर्धारित नहीं किया और इसका निर्णय परियोजना पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा लिया जायेगा।

- प्रारंभिक रूप से स्वीकृत (2007) लागत ₹ 2068.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 4192 करोड़ हुई। आरईसी ने बढ़ी लागत आधार पर टैरिफ पर विचार कर ऋण स्वीकृत किया किंतु ऋण की स्वीकृति के समय यूपीईआरसी द्वारा यह लागत आधिक्य स्वीकृत नहीं था।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसंबर 2016) कि ऋण यथोचित जांच के बाद स्वीकृत किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित था। परियोजना का निधिकरण उसकी वित्तीय नीतियों के अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जांच समिति ने शुल्क के जोखिम पर प्रकाश डाला और कहा कि परियोजना से बिजली का उत्पादन ₹ 4.96 प्रति यूनिट के स्तरित शुल्क पर उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा खरीदा जाएगा। परियोजना शुरू होने के बाद यूपीईआरसी द्वारा अंतिम शुल्क के अनुमोदन को लंबित करते हुये ₹ 5.79 प्रति यूनिट की स्तरित उत्पादन लागत के प्रति ₹ 4 प्रतियूनिट के परस्पर सहमत शुल्क पर यूपीपीसीएल को बिजली बेची गई।

4.1.3 पीएफसी ने मै. एस्सार पावर एमपी लिमिटेड (ईपीएमएल) को दूसरी बार अधिक लागत पूर्ण करने के लिये ₹ 370 करोड़ (मई 2014) और तीसरी बार अतिरिक्त लागत पूर्ण करने के लिये ₹ 592 करोड़ (जून 2016) का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। लेखापरीक्षा ने देखा किः

- दूसरी बार अधिक लागत पर अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति की गई थी यद्यपि न्यूनतम डीएससीआर 1.10 की बेंचमार्क आवश्यकता के प्रति 0.11 था।
- तीसरी बार अधिक लागत हेतु अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति की गई थी यद्यपि परियोजना की आइआरआर 12 प्रतिशत के बेंचमार्क स्तर के प्रति 11.05 प्रतिशत थी।

आरईसी ने इस परियोजना की तीसरी बार अधिक लागत को पूर्ण करने हेतु ₹ 532 करोड़ का अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किया (अगस्त 2016)। आरईसी ने परियोजना को ₹ 4.08 प्रति यूनिट के स्तरित व्यापार शुल्क सहित शेष बिजली की बिक्री 88 प्रतिशत पर ₹3.96 प्रति यूनिट स्थिति टैरिफ पर परियोजना को व्यवहार्य माना। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 के दौरान, व्यापार शुल्क बहुत कम (₹ 2.20 से ₹ 2.25 प्रति यूनिट) की सीमा में था और परियोजना का स्तरित शुल्क ₹ 2.94 प्रति यूनिट तक होगा, जो उत्पादन की स्तरित लागत ₹ 3.80 प्रति यूनिट से कम था।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (फरवरी 2017/जून 2017 तथा नवम्बर 2016) कि न्यूनतम डीएससीआर अनुपात को कार्यसूची में नहीं रखा गया था और जोखिम को कम करने के लिये ऋण सेवा पूर्ण करने हेतु निधि लाने के लिए एक संवितरण पूर्व शर्त निर्धारित की गई थी, इसी समय 12 प्रतिशत के आईआरआर की आवश्यकता पर छूट दी गई थी।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसंबर 2016) कि उसने तृतीय पक्ष द्वारा आकलन और अग्रणी बैंक द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार निर्णय लिया। अनुमान और उसका आधार बोर्ड कार्यसूची का भाग था और उनके निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया था।

उत्तर इस तथ्य का सामाधान नहीं करता की गलत अनुमान से परियोजना अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय अव्यवहार्य थी। इसके यद्यपि कर्जदार के पास ₹ 3.75 प्रति यूनिट पर बिजली की बिक्री हेतु पीपीए था, बिजली ₹ 2.80 प्रति यूनिट पर बेची गई थी। अतः छूट पीएफसी व आरईसी के हित में नहीं थी।

4.1.4 पीएफसी ने औसत और न्यूनतम डीएससीआर बनाने की आवश्यकता में छूट देते हुये, मै. लेनको अमरकंटक पावर लिमिटेड को अतिरिक्त ऋण और अधिक लागत की स्वीकृति दी। पहली बार अतिरिक्त लागत निधिकरण हेतु ₹ 607.70 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय (09 मार्च 2012), औसत डीएससीआर 1.20 की आवश्यकता के प्रति 1.13 था। तीसरी बार अतिरिक्त लागत की स्वीकृति के समय (27 फरवरी 2015); औसत डीएललीआर घटकर 1.11 हो गया था।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (जून 2017/नवंबर 2016) कि छूट निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित है। एमओपी ने कहा (फरवरी 2017) कि छूट अधिक लागत की स्वीकृति के दौरान दी गई थी चूकिं विकासक कंपनी को निरंतर हानि के कारण ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत था और अन्य ऋणदाताओं को सेवा देने में चूक कर चुकी थी।

उत्तर पुष्टि करता है कि विकासक/कर्जदार पीएफसी के आंतरिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार अधिक लागत निधिकरण के लिये पात्र नहीं था। छूट देने से पीएफसी के हितो की रक्षा नही हुई।

4.1.5 मै. लैंको विदर्भा थर्मल पावर लिमिटेड ने 1320 मे.वा. की परियोजना क्षमता में से 680 मे.वा. हेतु महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ पीपीए किया (25 सितंबर 2008)। तथापि सहमत शुल्क दर अव्यवहार्य होने की वजह से (स्तरित शुल्क- 25 वर्षों हेतु-₹ 3.03 प्रति यूनिट) एमएसईडीसीएल द्वारा पीपीए समाप्त कर दिया गया था (20 सितंबर 2014)।

अतिरिक्त लागत पूर्ण करने के लिये ₹ 378 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते समय (मार्च 2015), आरईसी ने ₹ 4.79 प्रति यूनिट स्तरित शुल्क और ₹ 4.37 प्रति यूनिट उत्पादन लागत सहित परियोजना को व्यवहार्य माना। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-15 के दौरान भारित औसत व्यापार दर ₹ 3.55 प्रति यूनिट थी, जबकि नवंबर 2014 में मामला-I बोली के अंतर्गत शुल्क ₹ 3.60 प्रति यूनिट था। आरईसी ने परियोजना के 'मेगा पावर'[37] स्टेटस की प्राप्ति न होने के संभावित प्रभाव पर भी विचार नहीं किया। 'मेगा पावर' को नवम्बर 2012 तक प्राप्त किया जाना था, किंतु यह मार्च 2015 में आरईसी द्वारा अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय लम्बित थी।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसम्बर 2016) की उन्होंने मेगा पावर स्टेटस प्राप्त करने की तिथि को नवम्बर 2016 तक बढ़ाया था तथा ऋणदाता उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए सभी ऋणदाताओं की बैठकों में कर्जदार द्वारा किए गए प्रयासो की चर्चा कर रहे है।

[37] एक थर्मल प्लांट जिसकी क्षमता (i) 1000 मेगावाट या ज्यादा और (ii) 700 मेगावाट या ज्यादा और उत्तरपूर्वी क्षेत्र या जम्मूकश्मीर में हो। यह प्लांट टैक्स लाभ जैसे- शून्य सीमा शुल्क, ड्रीम्ड निर्यात लाभ और कुछ आयकर लाभ के लिए योग्य है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना दीर्घावधि पीपीए के अभाव में 'मेगा पावर' स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकी तथा इसे प्राप्त करने के लिए अंतिम समयसीमा नवम्बर 2016 में समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय पावर की ब्रिक्री के लिए अधिक दर पर विचार करने पर उत्तर मौन था।

4.1.6 आरईसी ने मै. मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 700 मे.वा. की परियोजना में लागत में वृद्धि के लिए ₹ 363 करोड़ का अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किया (सितम्बर 2014)। आरईसी ने ₹5.35 प्रति यूनिट के स्तरित टैरिफ के साथ परियोजना व्यवहार्यता पर विचार किया (2.50 *प्रतिशत* वृद्धि सहित 100 मेगावाट के लिए ₹ 5.03 प्रति यूनिट का मर्चन्ट टैरिफ तथा 3.88 *प्रतिशत* वृद्धि सहित ₹ 3.94 प्रति यूनिट पर मै. पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 600 मेगावाट के लिए पीपीए)। सृजन की स्तरित लागत ₹ 4.83 प्रति यूनिट तैयार किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अगस्त 2013 तथा जुलाई 2014 के बीच भारित औसत मर्चन्ट टैरिफ ₹ 3.09 प्रति यूनिट था। पीपीए के मामले में 2 *प्रतिशत* की स्वीकार्य वृद्धि तथा मर्चन्ट टैरिफ पर कोई वृद्धि न होने के प्रति, आरईसी ने पीपीए व मर्चेंट टैरिफ पर क्रमश: 3.88 *प्रतिशत* तथा 2.50 *प्रतिशत* की वृद्धि पर विचार किया। लेखापरीक्षा अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय ₹ 4.31 प्रति यूनिट दर स्तरीकृत टैरिफ माना जो स्तरित उत्पादन लागत से कम था और इस पर परियोजना अव्यवहार्य हो गई।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसम्बर 2016) कि ₹ 5.35 प्रति यूनिट के स्तरित टैरिफ पर 2014-15 के लिए लघु अवधि पीपीए के आधार पर 90.86 मेगावाट (निवल पावर का 14.29 प्रतिशत) के लिए ₹ 5.03 प्रति यूनिट का टैरिफ मानकर विचार किया गया तथा शेष मात्रा (निवल पावर का 85.71 प्रतिशत) के लिए टैरिफ को राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में हाल की के मामला-1[38] बोली के भारित औसत टैरिफ के आधार पर माना गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मर्चेन्ट टैरिफ का अनुमान या वृध्दि व्यवहारिक तथा अनुमत मानको के अनुसार नही थी।

[38] प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से पावर की खरीद जहां स्थान तकनीक,या ईंधन को खरीदार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

4.1.7 आरईसी ने मै. एनसीसी पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड के 1320 मे.वा. परियोजना का को ₹ 714.73 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (अप्रैल 2015)। आरईसी ने ₹ 4 प्रति यूनिट के स्तरित टैरिफ तथा ₹ 3.70 प्रति यूनिट पर सृजन लागत के साथ 1.30 के डीएससीआर पर विचार किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2014 के लिए भारित औसत मर्चेन्ट टैरिफ ₹ 3.59 प्रति यूनिट था तथा नवम्बर 2014 में मामला-1 बोली के तहत टैरिफ ₹ 3.60 प्रति यूनिट था। मामला-1 बोली के आधार पर प्रचालित टैरिफ के तहत, डीएससीआर एक से कम होगा क्योंकि उत्पादन की लागत मामला-1 टैरिफ से अधिक होगी।

एमओपी/आरईसी ने कहा (मार्च 2017/दिसम्बर 2016) कि भारत सरकार के 'पावर फॉर ऑल' तथा 'मेक इन इंडिया' जैसे प्रयास विद्युत की मांग को बढ़ाएगे तथा इससे में टैरिफ दर स्थिति भी सुधरेगी। आरबीआई दिशा-निर्देशों ने स्वीकार्य बेंचमार्क के आधार पर व्यवहार्यता का निर्धारण करने का अनुबंध किया तथा आरईसी मूल्यांकन मानदण्डो के अनुसार, परियोजना व्यवहार्य थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सृजन लागत अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति से पूर्व की गई पिछली मामला-1 बोली के आधार पर स्तरित टैरिफ से अधिक थी तथा विचारणीय थी। विद्युत मांग में आगामी सुधार तथा परिणामस्वरूप टैरिफ में सुधार परियोजना उपरिलागत मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकते।

4.2 वित्तीय संस्थानों/बैंको के साथ चूक

पीएफसी तथा आरईसी के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार, विकासक/कर्जदार पुनसंरचना के समय किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) (पीएफसी तथा आरईसी सहित) के साथ मौजूदा ऋण शोधन में चूक नहीं होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्निलिखित ऋण मामलों में, आरईसी तथा पीएफसी ने अधिक लागत को इस तथ्य के बावजूद स्वीकृत किया कि मौजूदा ऋण शोधन में प्रमोटर्स/कर्जदार चूककर्ता थे। इन छूटो ने परियोजनाओं में आरईसी तथा पीएफसी के ऋण जोखिम को बढ़ाया। लेखापरीक्षा द्वारा जांचे नमुने में पाये गए मामले संक्षेप में निचे दिए गए हैं।

- आरईसी ने मै. केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड (केएमपीसीएल) को मार्च 2016 में ₹ 1355 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (18 मार्च 2016)। ऋण की स्वीकृती के समय, केएमपीसीएल का विकासक ₹ 27.66 करोड़ का चूक कर्ता था तथा केएमपीसीएल ने भी मार्च 2016 में ₹ 354.39 करोड़ का चूक की थी।

- आरईसी ने मै. आरकेएम पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड को तीसरी अधिक लागत के निधीयन हेतु ₹ 188.40 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (10 फरवरी 2016)। इसी समय आरईसी के साथ वित्तीय संस्थाओं को ₹ 3774.13 करोड़ के ब्याज का पुन: भुगतान करने में परियोजना कंपनी ने चूक की थी।

- आरईसी ने तीसरी लागत वृद्धि के लिए मै. लैंको बबन्ध पावर लिमिटेड को ₹ 505 करोड़ का अतिरिक्त ऋण (मार्च 2015) तथा मै. लैंको विदर्भा थर्मल पावर प्लॉट लिमिटेड को ₹ 378 करोड़ का अतिरिक्त ऋण (मार्च 2015) स्वीकृत किया। इन परियोजनाओं के विकासक सीआईबीआईएल लिमिटेड के अनुसार 91 खातों में चूक कर्ता था। इसके अलावा, ये परियोजना कम्पनियां अतिरिक्त ऋण की स्वीकृती के समय 90 दिनों से अधिक के लिए आरईसी के साथ ₹ 188.69 करोड़ की चूक कर्ता थी।

- आरईसी ने लागत में वृद्धि के लिए मैं एनसीसी पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड में ₹ 714.73 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (01 अप्रैल 2015)। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना कम्पनी के प्रमुख विकासकों की चार ऋण सुविधाओं को सीआईबीआईएल[39] द्वारा '*मानक के अलावा अन्य*' के रूप में वर्गीकृत किया गया (08 अक्तूबर 2014)। इसके अलावा, 2013-14 के लिए वित्तीय विवरणों हेतु लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध में, लेखापरीक्षको ने तुलन पत्र की तिथि पर बकाया की चूक तथा पिछले चार वित्तीय वर्षों में विलम्ब/चूको तथा पुनसंरचना/पुनर्निर्धारण के मामले सूचित किए थे।

[39] सीआईबीआईएल लिमिटेड जो पहले क्रेडिट इनफोरमेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. से जाना जाता था जो क्रेडिट के इतिहास तथा बिजनेस संस्थाओं की वित्तीय प्रतिष्ठा के जानने के लिए सूचना एवं साधन प्रदान करती थी।

- आरईसी ने मै. रतनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड को लागत में वृद्धि के लिए ₹507.63 करोड़ के अतिरिक्त ऋण को मंजूर किया (मार्च 2016)। 31 दिसम्बर 2015 तक, सीआईबीआईएल लिमिटेड के साथ-साथ कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता के अनुसार परियोजना कम्पनी अपने ऋणदाताओं के लिए चूक कर्ता थी।

- आरईसी तथा पीएफसी द्वारा दूसरी व तीसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, मै. इस्सार पावर एमपी लिमिटेड की तीन विकासक कम्पनियाँ अर्थात मै. इस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, मै. भेंडर पावर लिमिटेड तथा मै. एस्सार पावर लिमिटेड अन्य एफआईज/बैंक/डिबेंचर धारको के साथ चूक कर्ता थी। इसके अलावा, ग्रुप विकासक की दो ग्रुप कम्पनियां (इस्सार पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा मैं वादीनार पावर कम्पनी लिमिटेड) स्वयं पीएफसी के साथ चूक कर्ता थी। दीर्धावधि बैंक सुविधाओं के लिए ए$^{+}$ से बीबीबी तक सीएआरई द्वारा महत्वपूर्ण विकासक, मै. इस्सार पावर लिमिटेड की रेटिंग[40] की ग्रेड भी कम की गई थी (जनवरी 2014)।

- आरईसी ने मै. अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) को मार्च 2015 में चौथी लागत में वृद्धि हेतु ₹ 29.50 करोड़ तथा सितम्बर 2015 में पांचवी लागत में वृद्धि के लिए ₹ 24.86 करोड़ के अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किए। पीएफसी ने फरवरी 2015 में चौथी लागत वृद्धि के लिए ₹ 29.50 करोड़ के अतिरिक्त ऋण को भी स्वीकृत किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस परियोजना कम्पनी की मुख्य विकासक आरईसी सहित वित्तीय संस्थाओं ₹ 211.67 करोड़ की चूक कर्ता था।

- पीएसी ने मै. जल पावर कंपनी लिमिटेड के लागत आधिक्य (अतिरिक्त निधीयन के बिना) को स्वीकृत किया (जुलाई 2014)। इसी समय, इस परियोजना के कर्जदार पीएफसी के साथ 31 मार्च 2014 तक ₹36.30 करोड़ को चूक कर्ता थे तथा विकासक निगम ऋण पुन: सरंचना के अन्तर्गत था।

---

[40] रेटिंग को स्थापित ट्रैक रिकॉड तथा पावर प्लांटों के क्रियान्वयान तथा परिचालन में विकासक के अनुभव, विभिन्न चालू परियोजनाओं में अपेक्षित इक्विटी डालने के लिए इस्सार ग्रुप की क्षमता, अधिकतम सृजन क्षमता हेतु विद्युत क्रय करारों के तरीके से फर्म की ऑफ-टेक व्यवस्था से सामर्थ्य प्राप्त होती है।

- आरईसी ने मै. इंड-भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड को दूसरी लागत वृद्धि के लिए ₹227 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2014)। मूल्यांकन टिप्पणी के अनुसार, कर्जदार पीएफसी की बहियों में 'विशेष वर्णन खाता[41] (एसएमए)' तथा क्रेडिट सूचना ब्यूरों (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) रिपोर्ट (03 जुलाई 2014) के अनुसार 'एसएमए-मानक के अलावा अन्य' में थी।
- पीएफसी ने मै. लैंको अमरकन्टक पावर लिमिटेड को दूसरी लागत वृद्धि के लिए ₹ 629.73 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया (27 मई 2014)। बोर्ड कार्यसूची के अनुसार, विकासक तथा कर्जदार वित्तीय संस्थाओं के साथ चूक में थी। लेखापरीक्षको ने वित्तीय विवरण में वर्णित किया कि कर्जदार अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय ₹ 102.02 करोड़ की चूक में थी। परियोजना कम्पनी के विकासक भी ₹ 460.26 करोड़ की चूक में थें। अतः 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

एमओपी/आरईसी (मार्च 2017/जून 2017 और दिसम्बर 2016) और एमओपी/पीएफसी (फरवरी/जून 2017 और नवम्बर 2016) ने कहा कि

- तथ्यों को कार्यसूची में बोर्ड के सामने इंगित किया गया था और बोर्ड ने ऋण की पुनर्संरचना के लिए मंजूरी दी थी।
- छुटे, संयुक्त लेंडर्स फोरम के फैसले के अनुसार थी।
- विकासकों ने पुनर्संरचना/मूल्य लंघन के समय निर्धारित/पूरी इक्विटी सम्मिलित की।
- परियोजना के हित को ध्यान में रखा गया, शर्तों के पूरा करने के दबाव के कारण परियोजना को लागू करने में देरी होती।
- एएचपीसीएल में बाढ़ को देखते हुये, एक साल के लिए अधिस्थगन दिया गया था।

इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नही हैः-

[41] इसका तात्पर्य है कि कर्जदार ने 60 दिनों से अधिक के लिए चूक की थी।

- चार मामलों में छुट आरईसी/पीएफसी के हित में नही थी, क्योंकि लेखा आखिरकार खराब हो गया।
- पूर्ण इक्वीटी के आसव के लिए लगाये गये क्लॉज चूक को रोकने के लिए लगाये गये कलॉज से अलग थे। एक शर्त का पूरा होना, दूसरे अन्य शर्तों के पूरे होने की आवश्यकता नहीं रोक सकता।
- अधिस्थगन काल, एएचपीसीएल के संबंध में लागू नही था जैसा कि अधिस्थगन काल एक वर्ष जो जून 2014 तक था जबकि अतिरिक्त ऋण वर्ष 2015 में जारी दिये गये।

4.3 लागत आधिक्य के समय हानि/संचित हानि

आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों तथा आरबीआई के दिशा-निर्देशो के अनुसार, मुख्य विकासक की ऋण की पुनर्संरंचना करते समय पिछले तीन वर्षो के दौरान अपने वित्तीय विवरणों में हानि या नकद हानि या संचित हानि नहीं होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में चयनित निम्नलिखित आठ ऋण मामलों में इस तथ्य कि विकासकों ने हानि/नकद हानि/संचित हानि सूचित की थी, के बावजूद आरईसी ने लागू मानदंडो के उल्लंघन में पुनर्संरंचना/लागत आधिक्य को स्वीकृत किया।

- मै. आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड को तीसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, आरईसी (फरवरी 2016) पिछले तीन वर्षो में हानि या नकद हानि या संचित हानि न होने के अनुबंध में छूट दी।
- मै. लैंको विदर्भा थर्मल पावर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) की 2013-14 में ₹ 1891.65 करोड़ की संचित हानि थी फिर भी लागत आधिक्य की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय आरईसी द्वारा शर्त में छूट दी गई (मार्च 2015)।
- मै. एनसीसी पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड (एनपीपीएल) को लागत आधिक्य की स्वीकृति (अप्रैल 2015) के समय, मै. गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड, एक कोर विकासक ने 2013-14 में ₹ 64.97 करोड़ की हानि वहन की थी।
- मै. रतनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड (आरएनपीएल) के मुख्य विकासक की 31 मार्च 2015 तक ₹226.24 करोड़ की संचित हानि थी तथा उसने 2014-15 तक

तीन वित्तीय वर्षो के लिए नकद हानियां वहन की थी। फिर भी दूसरी लागत आधिक्य को स्वीकृत किया गया (मार्च 2016)।

- मै. एस्सार पावर एमपी लिमिटेड (ईपीएमएल) के मुख्य विकासक ने 2012-13 तथा 2013-14 में समेकित आधार पर क्रमश: ₹ 834 करोड़ तथा ₹ 574.36 करोड़ की हानियां वहन की थी। फिर भी पीएफसी द्वारा जून 2016 में ₹ 592 करोड़ तथा आरईसी द्वारा अगस्त 2016 में ₹ 532 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत हुआ।
- सितम्बर 2015 में पांचवी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, मै. अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) का विकासक पिछले तीन वर्षो में घाटे में चल रहा था।
- आरईसी द्वारा मार्च 2016 में ₹ 1355 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय, मै. केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड (केएमपीसीएल) का मुख्य विकासक 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: ₹ 162.88 करोड़ तथा ₹ 320.18 करोड़ के घाटे में था।
- आरईसी द्वारा मार्च 2015 में ₹ 641.14 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति के समय, मै. लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (एलएपीएल) का मुख्य विकासक 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान लगातार क्रमश: ₹ 112.03 करोड़, ₹ 1073.29 करोड़ तथा ₹ 2273.88 करोड़ के घाटे में लगातार चल रहा था।

आरईसी (दिसम्बर 2016) तथा पीएफसी (नवम्बर 2016) ने कहा कि उनके निदेशक मंडल ने परियोजना को चालू करने के लिए आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, विद्युत क्षेत्र में मंदी के कारण तथा संयुक्त ऋणदाता फोरम में निर्णय के अनुसार छूटो को स्वीकृत किया जो उनके हित की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि वास्तविक ऋण पहले ही आवंटित किए जा चुके थे। एमओपी ने यह भी कहा (मार्च/जून 2017) कि मै. एनपीपीएल के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा बताए अनुसार विकासकों की हानि 2013-14 से संबंधित थी जबकि वास्तविक मूल्यांकन दिसम्बर 2010 में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। आरईसी तथा पीएफसी ने उन विकासक की वित्तीय क्षमता से संबंधित मुख्य शर्त में छूट दी थी जिससे ऋणो के शोधन के लिए उनकी सामर्थ्य इंगित होती थी। विकासकों/उधारकर्ताओं के खराब परियोजना आधारों को जानते हुए भी छुट दी गई जो आरईसी/पीएफसी के श्रेष्ठ वित्तीय हित में नही थी। लेखापरीक्षा ने पुर्नगठन के मूल्यांकन के समय (2015) की टिप्पणी की थी ना कि मूल परियोजना के मूल्यांकन के समय (2010)।

4.4 लागत आधिक्य के निधीयन हेतु अग्रिम इक्विटी

पीएफसी तथा आरईसी दोनो के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार, विकासक को लागत आधिक्य के वित्तीयन हेतु 100 प्रतिशत अग्रिम इक्विटी प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अलावा, पीएफसी मानदण्डो के अनुसार, इक्विटी समावेश हेतु निधियों के स्रोत तथा गुणवत्ता भी लागत आधिक्य की स्वीकृति हेतु सुनिश्चित होनी चहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित आठ ऋण मामलो में लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय इन शर्तो का गैर-अनुपालन देखा।

- आरईसी ने मै. केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड (केएमपीसीएल) के विकासक को परियोजना की आखरी दो इकाईयो को क्रियान्वित करने के लिए अक्टूबर 2017 तथा दिसम्बर 2017 तक ₹ 7707 करोड़ में से ₹ 4469 करोड़ के अपने इक्विटी योगदान को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी।
- आरईसी तथा पीएफसी ने तीसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय (फरवरी/जनवरी 2016) मै. आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) को लागत आधिक्य को पूरा करने के लिए ₹705.88 करोड़ की अग्रिम 100 *प्रतिशत* इक्विटी लाने की शर्त में छूट दी।
- मै. लैन्को बबन्ध पावर लिमिटेड (एलबीपीएल) व लैन्को विर्दभ थर्मल पावर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) को मार्च 2015 में लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, आरईसी ने 100 *प्रतिशत* अग्रिम इक्विटी के बजाय चालू होने से छ: माह पूर्व 'लास्ट माइल इक्विटी' के रूप विकासक को लाने में सहमति दी।
- मै. लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (एलएपीएल) को फरवरी 2015 में तीसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, पीएफसी ने लागत आधिक्य को पूरा

करने के लिए 100 *प्रतिशत* अग्रिम इक्विटी के समावेश की आवश्यकताओ में छूट दी। विकासक को चालू होने से छः माह पूर्व 'लास्ट माइल' इक्विटी के रूप में ₹2372 करोड़ में से ₹955 करोड़ लाने की स्वीकृति दी।

- मै. जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को अक्टूबर 2014 में पहली लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय पीएफसी ने ₹ 1226 करोड़ की 100 *प्रतिशत* अग्रिम इक्विटी की पूर्व आवंटन शर्त का अनुबंध किया। सितम्बर 2016 में दूसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, इस शर्त में छूट दी गई क्योंकि विकासक ₹ 207.81 करोड़ (पहली लागत आधिक्य के ₹ 57.81 करोड़ सहित) की अपेक्षित इक्विटी का समावेश करने में सक्षम नहीं था।

- पीएफसी ने मै. रतनइंडिया नासिक पावर लिमिटेड (आरएनपीएल) को फरवरी 2016 में दूसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति दी। आरईसी ने भी इस परियोजना हेतु मार्च 2016 में दूसरी लागत आधिक्य को मंजूरी दी। लागत आधिक्य को पूरा करने के लिए 100 *प्रतिशत* अग्रिम इक्विटी की आवश्यकता में दोनो कम्पनियों द्वारा छूट दी गई तथा विकासक को दूसरी लागत आधिक्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित ₹ 492.33 करोड़ की कुल इक्विटी का 30 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 147.70 करोड़ प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

- मै. एस्सार पावर एमपी लिमिटेड (ईपीएमएल) को जून 2016 में तीसरी लागत आधिक्य की स्वीकृति के समय, पीएफसी ने लागत आधिक्य को पूरा करने के लिए विकासक द्वारा 100 *प्रतिशत* अग्रिम इक्विटी की शर्त में छूट दी। विकासक को ₹ 2684 करोड़ की इक्विटी का समावेश करना अपेक्षित था जिसमें से ₹ 400 करोड़ की इक्विटी का समावेशन ऋण आवंटनो के अनुपात में समावेश किये जाने की अनुमती दी गई।

एमओपी/आरईसी/पीएफसी ने कहा (जून 2017/दिसम्बर 2016/नवम्बर 2016) कि पीएफसी/आरईसी के निदेशक मंडल ने परियोजना के हित में तथा परियोजना चालू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आर्थिक शर्तो के अनुसार, विद्युत क्षेत्र में संकट के अनुसार तथा संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) में निर्णय के अनुसार छूट को स्वीकृत किया। एमओपी ने आगे कहा (फरवरी 2017) कि ईपीएमएल का तीसरी लागत आधिक्य

जेएलएफ द्वारा स्वीकृत व्यापक वित्तीयन योजना के अनुसार था जिसमें लागत आधिक्य निधीयन हेतु ऋण के आनुपातिक आवंटन की परिकल्पना की गई थी। एमओपी ने आगे कहा (जून 2017) कि मई 2017 के नवीनतम आदेश में आरबीआई ने कहा कि जेएलएफ में मूल्य अदाय ऋणदाता के न्यूनतम 60 प्रतिशत और संख्या अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत को सुधार कार्य योजना का आधार माना जाएगा और यह सब ऋणदाताओं पर बाध्य होगा।

4.5 अन्य छूटें

4.5.1 पीएफसी के आंतरिक विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार परियोजना शुरू होने से पहले तीसरी पुनर्संरचना अनुगत नहीं थी। फिर भी पीएफसी ने मै. डीएएनएस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डीईपीएल) को संशोधित लागत के साथ लागत आधिक्य के भाग के वित्तपोषण हेतु ₹ 108 करोड़ का तीसरा लागत आधिक्य अनुमोदित किया (नवम्बर 2013) जो कि संस्वीकृति तीन या अधिक पुनर्संरचना की अनुमति के संशोधित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुमोदन के अध्यधीन प्रभावी थी। डीईपीएल ने तीसरे लागत आधिक्य का वित्तीय समापन प्राप्त करने के उद्देश्य से पीएफसी वित्तपोषण के बदले में ₹ 108 करोड़ के अंतरिम ऋण के लाभ के अनुमोदन हेतु पीएफसी से अनुरोध किया (फरवरी 2014)। पीएफसी ने 'सिध्दांत': अंतरिम ऋण का अनुमोदन दिया और डीईपीएल और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया (19 जून 2014) परियोजना संस्थापन 30 सितंबर 2015 को हुआ और पीएफसी ने इसे तीसरा लागत आधिक्य मानते हुए ₹ 108 करोड़ का अन्तरिम ऋण का भार ले लिया (01 अक्तूबर 2015)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि तीसरा लागत आधिक्य के अनुमोदन से पूर्व डीईपीएल ने कुल ₹ 12.16 करोड़ के दो मूल पुर्नभुगतान किए थे। तथापि, तीसरे लागत आधिक्य के अनुमोदन पर, पीएफसी ने ब्याज देयों के लिए इस राशि का समायोजन किया, इस प्रकार से पुनर्संरचना को (27 नवंम्बर 2013 से प्रभावी) पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। यह आरबीआई दिशानिर्देशो के उल्लंघन में था जिसमें प्रावधान था कि एनबीएफसी पूर्वव्यापी प्रभाव से ऋण खातो को पुनर्संरचित नहीं कर सकता।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (फरवरी 2017/जून 2017 तथा नवम्बर 2016) कि वर्तमान प्रस्ताव को तीसरा पुनर्संरचना माना गया था और एक विशेष शर्त निर्धारित की गई थी

ताकि ऋण की संस्वीकृति संस्थपन से पूर्व तीन या अधिक पुनर्संरचना की स्वीकृति के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी हो। यह विवेकपूर्ण मानदंडो के उल्लंघन से बचने के लिए निर्धारित की गई थी। एमओपी ने आगे कहा कि चूंकि समय पालन महत्वपूर्ण था और आगे और विलम्बों से बचने के लिए, पीएफसी ने डीईपीएल को अंतरिम ऋण लेने की अनुमति दी थी ताकि लागत आधिक्य के लिए वित्तीय समापन प्राप्त् किया जा सके।

किंतु पीएफसी के आन्तरिक विवेकपूर्ण मानदंडो के अनुसार ऋण खाता संस्थापना से पूर्व तीसरी पुर्नसंरचना का पात्र नहीं था और मौजूदा मानदंडों से बचने के लिए, कर्जदार को अंतरिम ऋण के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना को पूर्वव्यापी प्रभाव दे कर ब्याज देयों के लिए पहले से प्राप्त मूल पुनर्भुगतान का समायोजन आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

4.5.2 पीएफसी के आन्तरिक दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सत्व/परियोजनाएं को वितपोषित किया जाएगा बशर्ते ऋण माफी के लिए उनकी आईआर -4 की न्यूनतम एकीकृत रेटिंग (आईआर) हो। लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. जल पावर कारपोरेंशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के मामले में पीएफसी ने जुलाई 2014 में पहले लागत आधिक्य के अनुमोदन के समय ₹ 475.81 करोड़ के पूरे ऋण की हामीदारी दी जबकि परियोजना का आईआर उस समय निर्धारित आईआर -4 के प्रति कम कर के आईआर 5 कर दिया गया था। यद्यपि पीएफसी के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किसी एकल परियोजना में पीएफसी का कुल ऋण जोखिम परियोजना लागत से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तथापि मै. जेपीसीएल के मामले में पीएफसी ने ₹ 1455.03 करोड़ की लागत की एक परियोजना में ₹ 863.46 करोड़ (मूल ऋण ₹ 387.65 करोड़ + पहला लागत अधिक्य ₹ 475.81 करोड़ आधिक्य सहित) तक के परियोजना वितपोषण का अनुमोदन किया। अत: 50 प्रतिशत के निर्धारित अधिकतम जोखिम के प्रति पीएफसी द्वारा 59 प्रतिशत परियोजना लागत वित्तपोषित की गई थी।

एमओपी/पीएफसी ने कहा (फरचरी 2017/जून 2017 तथा नवम्बर 2016) कि छूट कार्यसूची में स्पष्ट रूप से बताई गई थी और वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थी। एमओपी ने यह भी कहा (जून 2017) कि ₹ 475.81 करोड़ हामिदारी का

प्रस्ताव था जिसमें ₹ 121.61 करोड़ होल्ड भाग व ₹ 354.20 करोड़ की डाउनसेलिंग हेतु चिन्हित था जो कि बीओडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देखते हुए कि ₹ 121.61 करोड़ होल्ड भाग था, पीएफसी को कुल ऋण राशि ₹ 509.26 करोड़ था, जो ₹ 1455.03 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत का 35 प्रतिशत था, जो नीति के अनुसार अनुमत 50 प्रतिशत जोखिम से कम था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूंकी पीएफसी की नीति 50 प्रतिशत जोखिम सीमा के तहत ऋण स्वीकृति का प्रावधान करती थी